रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2013/माघ 26, 1934

No. 82] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2013/MAGHA 26, 1934

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 89(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में सहायक निदेशक (प्रोग्रामिंग) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग [सहायक निदेशक (प्रोग्रामिंग) समूह ''क'' पद] भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
सहायक निदेशक (प्रोग्रामिंग)	*1 (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित सचिवीय	वेतन बैंड -3, 15600-39100 रु0 (ग्रेड वेतन 5400 रु0)	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकार सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कम्प्यूटर अनुप्रयोगों/कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या एम.टेक (कम्प्यूटर अनुप्रयोग विशेषज्ञता के साथ) या कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में बीई/बीटेक या समतुल्य और (ii) वास्तविक प्राग्रामिंग के अनुभव सहित इलेक्ट्रानिक डाटा प्रसंस्करण कार्य का दो वर्ष का अनुभव या (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोगों/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक और संचार इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य (ii) इलेक्ट्रानिक डाटा प्रसंस्करण में तीन वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम एक वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए या (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समतुल्य; और	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(7)

मान्यता प्राप्त् विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा समतुल्य (ii) इलेक्ट्रानिक डाटा प्रसंस्करण में चार वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए या (i) राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में विश्वविद्यालय कार्यक्रम/पश्च पोलिटेक्निक डिप्लामा के अधीन प्रस्थापित कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में डीओईएसीसी कार्यक्रम या स्नातकोत्तर डिप्लोमा के अधीन "ए" स्तर का डिप्लोमा; और (ii) इलेक्ट्रानिक डाटा प्रसंस्करण में चार वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम दो वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए । टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियें के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा ।
10	11
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/पब्लिक सरकार उपक्रम/अर्ध सरकारी संगठनों/कानूनी या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी- क(i) जो मूलकाडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं । या (ii) जो मूलकाडर/विभाग में, पे-बै-2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु या समतुल्य में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में दो वर्ष सेवा कर चुके हैं; या (iii) जो मूलकाडर/विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु और ग्रेड वेतन 4600 रु में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी मे तीन वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक

(11)

	पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1.1.2006/वह तारीख जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, सेपूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को एक सामान ग्रेड वेतन/वेतनमान के एक साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
12	13
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधी भर्ती की पुष्टि के लिए) 1. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (एससीडी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय-सदस्य 3. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग-सदस्य	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

[सं. 13040/1/06-एससीडी-VI]

एम. ए. मुरलीधरन, उप-सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2013

G.S.R. 89(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Programming) in the National Commission for Scheduled Castes, namely:-

1. **Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the **National Commission for Scheduled Castes (Assistant Director (Programming) Group 'A' post) Recruitment Rules, 2012.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale –**

The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Scheduled annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc. –**

The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Scheduled.

4. **Disqualification – No person –**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax –**

Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving –**

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Pay band and Grade pay/ pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Assistant Director (Programming)	1* *(2012) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted (Non-Ministerial).	Pay Band-3 Rs.15600-39100 (Grade Pay Rs.5400)	Not Applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (other than the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
(i) Master's Degree in Computer Applications/Computer Science or M.Tech (with specialization in Computer Applications) or B.E./B.Tech in Computer Engineering/Computer Science/Computer Technology of a recognized University or equivalent; and (ii) two years' experience of electronic data processing work including experience of actual programming; OR (i) Degree in Computer Applications/Computer Science or Degree in Electronics/Electronics and Communication Engineering from a recognized University or equivalent; and (ii) three years' experience in Electronic Data processing out of which at least one year experience should be in actual programming; OR (i) Master's Degree of a recognized University or equivalent or Degree in Engineering of a recognized University or equivalent; and (ii) four years' experience of electronic data processing out of which at least two years' experience should be in actual programming; OR (i) "A' level Diploma under DOEACC Programme or Post Graduate Diploma in Computer Applications offered under University Programme/Post Polytechnic Diploma in Computer Applications awarded by State Council of Technical Education or equivalent; and (ii) four years' experience of electronic data processing work out of which at least two years' experience should be in actual programming.	Not applicable.	One year for direct recruits	By deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Officers of the Central/State Governments/Union Territories/Universities/recognized research institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government Organizations/Statutory or autonomous bodies:- (A)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB -2 Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4800/- or equivalent in the parent cadre/Department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-2 Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4600/- or equivalent in the parent cadre/Department; and (B) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruitment under column 7. (Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note:** For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/ pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation of direct recruits)** 1. Secretary, National Commission for Scheduled Castes- Chairman 2. Joint Secretary (SCD), Ministry of Social Justice and Empowerment- Member 3. Joint Secretary, National Commission for Scheduled Castes- Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post.

[No. 13040/1/06-SCD-VI]

M. A. MURALEEDHARAN, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.